



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : ५) / 08 / प्रशा० / MSU / 2023-24

दिनांक: ०६.०४.२०२४

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

विषय:- शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड किये गये अनुसूचित जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जिला समाज कल्याण कार्यालय के पत्रांक सं०- सी०-109 / स०क० / दशमो० छात्रवृत्ति / 2023-24 / दिनांक 03.04.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड किये गये अनुसूचित जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि विश्वविद्यालय में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लॉगिन से डिजिटल सिग्नेचर से फॉरवर्ड किये गये अनुसूचित जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण विश्वविद्यालय में दिनांक 12.04.2024 को शाम 04:00 बजे तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोपरि-

भवदीय,

(डॉ० राकेश चन्द्र)

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

प्रतिलिपि-अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलपति कार्यालय, मा० कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. उपकुलसचिव माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति

कार्यालय :- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

पत्रांक C-109 /सोको/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2023-24/ दिनांक 03-4-2024

समस्त प्राचार्य/आयरेक्टर (राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र)
डिग्री/लॉ/मैनेजमेंट/इंजीनियरिंग/मैडिकल/नर्सिंग/पैरामैडिकल/
बीएड/बीटीसी/पालीटेक्नीक/आईटीआई
एवं निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय,
जनपद सहारनपुर।

विषय-शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्था के लागिन से डिजिटल सिग्नेचर से फारवर्ड किये गये अनुसूचित जाति के द्वितीय चरण के छात्रों के मांगपत्र का प्रेषण करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रों के (द्वितीयचरण) में आवेदन करने की तिथि 01/01/2024 से 31/03/2024 थी एवं संस्था स्तर से आनलाईन आवेदन पत्र अद्यस्तित करने की अन्तिम तिथि 15/04/2024 है।

अतः संस्थान का शैक्षिक सत्र 23-24 का मांग पत्र 15/04/2024 तक अथवा पूर्व में ही अध्याहनाधीन कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेखों सहित जमा कराना सुनिश्चित करें-

| | |
|----|--|
| 1 | संस्था लागिन से डिजिटल लॉक कर फारवर्ड किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की जातिवार फारवर्ड लिस्ट नवीन और नवीनीकरण की प्रमाणित हार्ड कापी व आवेदन पत्रों (समस्त संलग्नकों सहित) की साफ्ट कापी (C.D.)। |
| 2 | परिशिष्ट 'ज' व 'झ' (छाया प्रति संलग्न) |
| 3 | परिशिष्ट झ (रु० 10/-के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित संस्था के सचिव व प्रधानाचार्य का संयुक्त फोटोयुक्त शपथ-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। |
| 4 | छात्रों की उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र कि छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत रही है तथा संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम वार आनलाईन भरी गयी है। |
| 5 | राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित ज्ञान वाली प्रवेश परीक्षा के द्वारा प्रवेशित छात्रों के काउन्सलिंग के पत्र की छाया प्रति तथा (बी०टेक०/बी०आर्क०/बी०फार्मा०/बी०ए०एम०एस०/बी०यू०एम०एस०/एम०बी०ए०/एस०सी०ए०/एम०टैक०/एम०फार्मा०/पालीटेक्नीक/डी०फार्मा/बी०एस०सी० नर्सिंग/BMLT/GNM/ANM (अयुर्वेद एवं एलायन्स) की छात्रवार रजिस्ट्रेशन नम्बर (स्टैंड मैडिकल फंक्ल्टी/आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड में रजिस्टर्ड छात्रों की सूची) संलग्न करें। जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होत है, वही छात्र पात्र होंगे। (मैनेजमेंट कोटा/स्पाट कोटा एवं डायरेक्ट एडमिशन के छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।) |
| 6 | ए०आई०सी०टी से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित समस्त वर्षों के छात्रों के काउन्सलिंग पत्र, स्कोर कार्ड एवं एडमिट कार्ड को प्रति भी संलग्न करें। |
| 7 | बी०एड०/बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के छात्रों के काउन्सलिंग के पत्र की छाया प्रति छात्रवार रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के छात्र) बी०टी०सी० हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद से जारी एलाटमेंट लैटर एवं स्नातक की मार्कशीट। इसके साथ ही बी०एड०/बी०टी०सी०/एम०एड०/एम०बी०एड/एल०एल०बी० द्वितीय वर्ष के रिनीवल छात्रों की भी स्नातक की मार्कशीट (छात्रों की अलग से सूची प्राप्त कराये) |
| 8 | आई०टी०आई संस्थान प्रवेशित छात्रों के admission approved list भी संलग्न करें। अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के छात्र |
| 9 | संस्था स्तर पर गठित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का पत्र (अध्यापकों के नाम, पद नाम, मोबाइल नम्बर हस्ताक्षर सहित) (संलग्न प्रारूप) |
| 10 | संस्था की प्रबन्ध समिति का पत्र। |
| 11 | पाठ्यक्रम वार अनुमोदित सीट के सापेक्ष जाति वर्ग वार प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये गये छात्रों की संख्या प्राप्त कराये। (संलग्न प्रारूप) |

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमगोस्तर छात्रवृत्ति योजना (एकदश संस्करण) नियमावली-2023 उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3, लखनऊ कार्यालय आप संख्या 76 दिनांक 27/09/2023 के प्राविधानों के अनुसार ही केवल पात्र छात्रों का डाटा अप्रसारित करे किया भी दशा में विन्यावली के विपरीत अपात्र छात्रों के आवेदन पत्र अप्रसारित न करे।

- 13 संस्था द्वारा छात्र के आवेदन पत्र को अप्रसारित करने के उपरांत यदि कोई छात्र परीक्षा फार्म नहीं भरता है या पाठ्यक्रम छोड़ देता है तो छात्र के बैंक खाते से उसके धनराशि आहरण पर रोक लगाने तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की विभाग को धनराशि वापिस करने का पत्र बैंक को जारी करे ताकि किसी भी दशा में अपात्र छात्र धनराशि आहरित न कर सकें। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी सूचना उपलब्ध कराये।
- 14 संस्था का यह दायित्व है कि प्रत्येक दशा में दशमगोस्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति नियमावली का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करे।

अति महत्वपूर्ण

- 15 इसके साथ ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक सी-5104 दिनांक 26/12/2023 के अनुसार जिन संस्थाओं द्वारा 18-19, 19-20, 20-21 व वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम तथा परीक्षा न देने वाले/पाठ्यक्रम पूरा न करने वाले छात्रों की धनराशि अभी तक वापिस नहीं की है वह भी तत्काल परीक्षा परिणाम प्राप्त कराना तथा परीक्षा न देने वाले/पाठ्यक्रम पूरा न करने वाले छात्रों की धनराशि भी वापिस कराना सुनिश्चित करे। इससे साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक सी-6300 दिनांक 14/02/2024 के निर्देशों के क्रम में वर्ष 22-23 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम भी प्राप्त कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

A
(अर्चना)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ० सं० / तददिनांक

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर।
- 2- उप निदेशक, समाज कल्याण सहारनपुर मंडल।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।
- 4- नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
सहारनपुर।

(शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु)

छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना में संस्थान द्वारा संस्तुति अग्रसारण संबंधी शपथ-पत्र (रु० 10/-) के नाम-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र निम्नानुसार संस्थाध्यक्ष (सचिव) एवं प्रधानाचार्य के फोटो (नोटरी सहित) उपलब्ध कराया जायेगा)

फोटो संस्थाध्यक्ष
(सचिव)
नोटरी द्वारा प्रमाणित

फोटो प्राचार्य
नोटरी द्वारा प्रमाणित

- 1 शपथ पत्र पर संस्थान का नाम तथा पूर्ण पता संस्थाध्यक्ष का नाम/प्राचार्य का पदनाम मोबाईल नम्बर, ई-मेल, आईडी0 एवं प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर विषयक।
- 2 विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर संस्तुति की हार्ड व साफ्ट कापी (सीडी) के रूप में।

शपथ पत्र का प्रारूप समक्ष जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

- 1 यह कि संस्था द्वारा शासनादेश सं० 76 दिनांक 27/09/2023 द्वारा निर्गत संशोधित उ०प्र० अनुसूचित जाति एवं जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023 एवं अन्य दिशा-निर्देशों का भलिभांति अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही पात्र छात्रों का ही आनलाईन डाटा संस्था के लागिन से अग्रसारित किया गया है।
- 2 यह कि हार्डकापी में अंकित समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कराये गये हैं साथ ही आय व जाति प्रमाण पत्रों का मिलान बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा हाईस्कूल व इन्टर की मार्कशीट का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड से कर लिया गया है। छात्रों के गत वर्ष के पूर्णांक/प्राप्तांक का परीक्षण कर लिया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थाध्यक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होगा। इसके साथ ही नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्रवृत्ति संबंधी समस्त अभिलेख 10 वर्ष तक संस्था स्तर पर सुरक्षित रखे गये हैं।
- 3 सभी छात्रों के आवेदन पत्रों का संस्थान स्तर पर गठित छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति से परीक्षण करा लिया गया है एवं आवेदन पत्र पर उनकी संस्तुति करा ली गयी है।
- 4 यह कि जिन छात्रों का डाटा अग्रसारित किया गया है उन छात्रों का स्टूडेंट ट्रैक रिकार्ड (student track record) से परीक्षण कर लिया गया है तथा छात्रों के आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि छात्र द्वारा पूर्व में समकक्ष कोर्स नहीं किया गया है, ना ही कोई कोर्स छोड़ कर इस वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है। यदि छात्रवृत्ति नियमावली के विरुद्ध किसी छात्र का नाम आनलाईन अग्रसारित होता है तो छात्र को प्राप्त धनराशि संस्था द्वारा विभाग को वापिस की जायेगी।
- 5 यह कि अग्रसारित किये गये छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा आनलाईन अंकन कर दिया गया है। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसकी धनराशि वापिस कर दी जायेगी।
- 6 यह कि संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के जिन छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु आनलाईन आवेदन पत्र फाईवर्ड किये गये हैं उनमें से किसी भी छात्र का प्रवेश प्रबन्धकीय कोटा सीट, व स्पॉट (spot) कोटे के सापेक्ष नहीं किया गया है।

यह कि शिक्षण संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में अनुस्नातक श्रेणी/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने वाले नवीण छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों द्वारा इस वर्ष 2023-24 में नवीणीकरण किया गया है।

- 8 प्रत्येक छात्र का आधार नम्बर का सत्यापन कर लिया गया है तथा छात्र के बैंक खाते से बैंक/सीडी/ NPCI करा दिया गया है। सभी छात्रों के खाते अपडेट हैं तथा आधार से सीडीड व एनपीसीआई से मेसू है एवं छात्रों को अपने खाते में नियमित रूप से लेन-देन करने के लिये सूचित किया गया है।
- 9 यह कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अनुरूप ही पात्र छात्र के आवेदन पत्र संस्था द्वारा डिजीटल लॉक कर अधिसूचित किये गये हैं एवं गत वर्ष का वार्षिक परीक्षा फल घोषित होने/संबंधित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से प्रमोट करने/दोनों रजिस्टर के नम्बर अंकित करने के उपरांत ही पात्र छात्रों के नवीणीकरण का आवेदन पत्र फास्टवर्ड किये गये हैं। छात्र की मार्कशीट से प्राप्तांक/पूर्णांक का मिलान करने के उपरांत ही आवेदन पत्र में अंकित कराये गये हैं तथा संस्था के लागिन से आनलाईन फीड कर फास्टवर्ड किये गये हैं।
- 11 संस्था के वर्ष 2023-24 में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी यदि उनमें से कोई छात्र परीक्षा नहीं देता है/पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता है/सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो ऐसे छात्रों की धनराशि विभाग को वापिस की जायेगी। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित होते ही प्राप्त करा दिये जायेगे।
- 12 यह कि विगत वर्षों में जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं दी/पाठ्यक्रम छोड़ दिया गया है तो उनकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि भी विभाग को वापिस कर दी जायेगी।

दिनांक:-

नाम व हस्ताक्षर शपथ कर्ता
(संस्था प्राचार्य)

नाम व हस्ताक्षर शपथ कर्ता
(संस्था प्रमुख/सचिव)

संस्था द्वारा पाठ्यक्रम वार/जातिवर्गवार प्रवेशित एवं छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित छात्रों की संख्या का प्रारूप
(शैक्षिक सत्र 2023-24)

संस्था का नाम:-

शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के संबंध में सूचना:-

| क्रम सं० | पाठ्यक्रम का नाम | अनुमोदित सीट | अनुसूचित जाति | जन जाति | पिछड़ा वर्ग | अल्प संख्यक |
|----------|------------------|--------------|---------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | योग | | | | | |

शैक्षिक सत्र 2023-24 प्रवेशित छात्रों के सापेक्ष प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति हेतु अग्रसारित छात्रों की सूचना

| क्रम सं० | पाठ्यक्रम का नाम | अनुसूचित जाति प्रथम चरण | जन जाति प्रथम चरण | अनुसूचित जाति द्वितीय चरण | जन जाति द्वितीय चरण |
|----------|------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| | योग | | | | |

दिनांक:-

पद नाम सहित हस्ताक्षर प्रचार्य:-

पद नाम सहित हस्ताक्षर नोडल:-